

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/वलि/09/805 दिनांक 9.2.09 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था । अब निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री रतनलाल	5.2.70	अजा
2	श्री पूनमचन्द	20.11.76	अजा
3	श्री कुरीया चमार	4.4.58	अजा
4	श्री बाबूलाल मीणा	6.8.63	अजजा

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

६०

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि/09/1210
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:-24/7/09

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक: 18/एम/डीपीसी/वोलि0/09/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/वोलि0/09/1210 दिनांक 24.7.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री रतनलाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के अधीन
2	श्री पूनमचन्द	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
3	श्री कुरीया चमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर के अधीन
4	श्री बाबूलाल मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के अधीन

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.8.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-ग/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्षों के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


अति० निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
 राज० जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/1218

दिनांक:- 28/7/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।



अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि/09/1212

दिनांक:-24/7/09

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/वलि0/09/998 दिनांक 19.5.09 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था । अब निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री महावीर प्रसाद	15.6.54	सामान्य
2	श्री गोपाल लाल शर्मा	7.11.64	सामान्य
3	श्री शिव सिंह	29.4.71	सामान्य
4	श्री राजसिंह सोलंकी	2.10.66	सामान्य
5	श्री रामदेव भाटी	5.9.67	सामान्य
6	श्री मुस्तकीम खान	5.7.61	सामान्य
7	श्री जगदीश खण्डेलवाल	16.11.70	सामान्य
8	श्री सुनील कुमार जैमन	15.3.71	सामान्य
9	श्री शिवकुमार सिंह	5.5.67	सामान्य
10	श्री कमलेश कुमार माथुर	10.3.60	सामान्य
11	श्री लोकेश श्रीवास्तव	9.7.69	सामान्य
12	श्री भोगीलाल पाटीदार	12.9.67	सामान्य
13	श्री शांतिलाल कुम्हार	15.7.58	सामान्य
14	श्रीमती पुष्पा पारदासानी	22.6.64	सामान्य
15	श्री रामलाल धाकड	5.7.62	सामान्य

16	श्री रतनदास	12.12.62	अजा
17	श्री दीपचन्द	19.7.67	अजा
18	श्री जगदीश मीणा	3.9.74	अजजा

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

६


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:—ई-18/एम/डीपीसी/व०लि०/०९/१२१२

दिनांक:—२५/७/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/1210 दिनांक 24.7.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-


क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री महावीर प्रसाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं के अधीन
2	श्री गोपाल लाल शर्मा	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर
3	श्री शिव सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
4	श्री राजसिंह सोलंकी	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के अधीन
5	श्री रामदेव भाटी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
6	श्री मुस्तकीम खान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के अधीन
7	श्री जगदीश खण्डेलवाल	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा० अधिकारी जयपुर प्रथम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अधीन
8	श्री सुनील कुमार जैमन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अधीन
9	श्री शिवकुमार सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के अधीन
10	श्री कमलेश कुमार माथुर	उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के अधीन
11	श्री लोकेश श्रीवास्तव	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के अधीन
12	श्री भोगीलाल पाटीदार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर के अधीन
13	श्री शांतिलाल कुम्हार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के अधीन

14	श्रीमती पुष्पा पारदासानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के अधीन
15	श्री रामलाल धाकड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के अधीन
16	श्री रतनदास	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के अधीन
17	श्री दीपचन्द	राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
18	श्री जगदीश मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के अधीन

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.8.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।


राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11 / 95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व०लि०/०९/१२१९
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:- 28/7/09


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर